तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री पंकज नरुका, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांट (2) श्री एस0के0शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंटस आदेश दिनांकः 19.8.2020 यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2004 के विरुद्ध पेश की गयी है । 2– अपील के सक्षिप्त तथ्यों के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 17.6.2002 को ग्राम सेमलिया तहसील बेगू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 657/3 रकबा 3 बीघा किस्म बारानी द्वितीय का आवंटन किया गया, जिसके विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या एक भगवतीलाल की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम14(4) (राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970) के तहत अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन चित्तौडगढ के समक्ष पेश किया जिसको उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22.7.2003 के द्वारा खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने निर्णय दिनांक 22.7.2003 से व्यथित होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोडगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसको उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16.06.2004 के द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलांट को विवादित भूमि, भूमिहीन होने से आंवटित की गई थी। आवंटन सलाहकार समिति ने इस बाबत पटवारी हल्का से भी रिपोर्ट मंगवाई थी। उनका तर्क है कि अपीलांट विगत 15 वर्षों से अपने पीहर ग्राम सेमलिया में निवास करती आ रही है तथा कृषि व मजदूरी करती है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने पूर्व पति की भूमि बाबत कोई जिक्र नहीं किया, इस तथ्य को अनदेखा कर तथा बिना किसी प्रकार की जांच किये, आदि मात्र रेस्पोडेंट संख्या–1 के मिथ्या कथनों पर विश्वास कर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में कानूनी भूल की है। उनका आगे तर्क है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट परित्यक्ता स्त्री नहीं है तथा अपने पूर्व पति के साथ रहती चली आ रही हो। केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 के कथनों के आधार पर अपीलांट के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्ष में किये गये आवंटन को गलत आधारों पर खारिज किया है। उनका आगे तर्क है कि विद्वान प्रथम अपील अधिकारी ने अपीलांट के पति के खाते में 11 बीघा भूमि अंकित होना माना है। अगर इस तथ्य को इस आधर पर माना जावे कि अपीलांट अपने पति के साथ रहती थी, हालांकि ऐसा नहीं है फिर भी अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में आती है जिससे वह विवादित आराजी को अपने पक्ष में आवंटन कराने की अधिकारी थी। उनका तर्क है कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसकन्सीव्ड था। ऐसे प्रार्थना पत्र में लिये गये कथनों के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटी द्वारा आवंटन गलत आधारों/तथ्यों को छुपा कर कराया गया हो तो ही निरस्त किया जा सकता है, जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। अन्त में अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 16.4.04 को निरस्त कर अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तोडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.7.2003 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। 5— इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेंट का तर्क है कि आवंटी ने अपने पति के नाम भूमि होने के तथ्यों को छिपा कर आवंटन कराया है उसने अपने पति के स्थान पर पिता का नाम लिखवाया है। आवंटी सेमलिया की नहीं होकर नन्दलाल दरोगा की पत्नी होकर देदिया में रहती है। उसने अपने आप को परित्यक्ता बता कर पति का नाम व सकूनत छिपाकर आवंटन कराया है। आवंटी के पति के पास 45 बीघा भूमि है। इस प्रकार आवंटी आवंटन की पात्र नहीं होते हुए भी उसके पक्ष में आवंटन किया गया है जिसे प्रथम अपलीय न्यायालय द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को सही खारिज किया है। अपीलांट को किया गया आवंटन विधि अनुसार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अपीलांट सद्भावी कृषक नहीं है और आवंटन के समय अपीलांट ने तथ्यों को छुपाया है। अपीलाधीन निर्णय में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया। 6— हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 657/3 रकबा 3 बीघा का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था, जिसके विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या एक भगवतीलाल की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम14(4) (राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970) के तहत अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन चित्तौडगढ के समक्ष आवंटन को निरस्त कराने हेतु पेश किया, जिसको उनके द्वारा खारिज कर दिया। लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोडगढ के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रत्यार्थिया ने वक्त आवंटन अपने पति के नाम अंकित भूमि के तथ्य को छिपाया है, जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। किन्तु यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगू के निर्णय दिनांक 6.01.90 की प्रमाणित प्रति पेश है जिससे प्रकट हो रहा है कि आवंटी अपने पति से अलग रह रही थी और उसे व उसकी तीन पुत्रियों को पति से निर्वाह भत्ता दिलाये जाने के आदेश दिये हैं, इससे यह प्रकट होता है कि वह वक्त आवंटन पति से अलग रह रही थी। प्रार्थीया ने स्वयं को परित्यक्ता बताते हुए अपने पक्ष में आवंटन कराया है और यदि पति की भूमि को बताया भी नही गया तो भी यह स्पष्ट है कि उसके पति की भूमि को शामिल करने के पश्चात भी वह आवंटन नियमों के तहत भूमिहीन की परिभाषा में आती है व आवंटन कराने की अधिकारी है। ऐसे में यदि पति के नाम भूमि होने के तथ्य को बताया नही भी गया तो भी यह ऐसा कोई तात्विक तथ्य नहीं था जिससे आवंटन सलाहकार समिति को भ्रमित कर दिया गया हो। बल्कि इसके विपरीत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों के तहत आवंटन की कार्यवाही करते हुए अपीलांट के पक्ष में आवंटन किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपील अधिकारी ने अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन को खारिज करने के जो आधार लिये हैं वे न्यायोचित नहीं हैं तथा ओलाच्य आदेश सही ठहराये जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। 7— अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील—अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.6.04 निरस्त किया जाकर अतिरिक्त कलेक्टर(प्रशासन) चित्तोडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.7.2003 को यथावत रखा जाता है। 8— पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	

अपील एलआर/2891/2004/चित्तौडगढ
मांगीबाई बनाम भगवतीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए